



ftyk LokLF; lfefr]eqaxsj

DISTRICT HEALTH SOCIETY, MUNGER

SADAR HOSPITAL ROAD, MUNGER

Email: dhsmunger@yahoo.com/dhsmunger@gmail.com

☎-06344-223715



पत्रांक/जि० स्वा० स०, मुंगेर दिनांक...../

सामान्य निविदा

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुंगेर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रत्येक प्रखंड से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र (L1) एवं सदर अस्पताल, मुंगेर स्थित रक्त अधिकोष/ए०एन०एम० स्कूल/जिला स्वास्थ्य समिति/अंधापन अस्पताल/एस०एन०सी०यू०/आर०सी०एच०/केन्द्रीय दवा भंडारगृह/अन्य कार्यालय में 24X7 अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिये वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के तहत ध्वनिरहित (साइलेंट) जेनरेटर व्यवस्था एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में कपड़ों की धुलाई, अस्पताल के आन्तरिक एवं बाहरी परिसर का साफ-सफाई, पथ्य उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों/फर्मों/प्रतिष्ठित कम्पनियों से मुहरबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा(दो अलग-अलग लिफाफे) दिनांक 20.08.2014 को अपरहान् 5.00 बजे तक कार्यालय कार्य दिवस में जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर में निबंधित डाक से आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 28.08.2014 को 12.00 बजे समाहरणालय मुंगेर के प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथि को निविदा दाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। निविदा से संबंधित कार्यों की विवरणी तथा विषय एवं शर्त की विस्तृत विवरणी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्दिष्ट TOR के साथ जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है या मुंगेर जिले के वेबसाइट www.munger.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। TOR में निविदा आवेदन एवं तकनीकी निविदा संबंधी विहित प्रपत्र संलग्न है, जिसमें वांछित सूचना अंकित कर Status of Agency, Investment in tools & equipment, skilled staff position, विगत दो वर्ष का Annual report, Audit report, service tax registration एवं अन्य वांछित अनुलग्नक सहित उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। TOR में निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा चयन प्रक्रिया की जायेगी जिसमें आवश्यकतानुसार जिला क्रय समिति परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। जिला स्वास्थ्य समिति निविदा की शर्तों में अंशतः या पूर्णतः परिवर्तन या निविदा अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार एवं सभी संस्थानों के लिए निविदा एक ही फर्म को या अलग-अलग फर्मों को न्यूनतम दर पर स्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। निविदादाता एक या एक से अधिक कार्यों के लिए निविदा उपलब्ध कराने हेतु स्वतंत्र है।

सिविल सर्जन सह सदस्य

—सचिव—

जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

कार्य की विवरणी (24x7 अनवरत वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति)

सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रत्येक प्रखंड से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र (L1) एवं सदर अस्पताल, मुंगेर स्थित रक्त अधिकोष/ए0एन0एम0 स्कूल/जिला स्वास्थ्य समिति/अंधापन अस्पताल/एस0एन0सी0यू0/आर0सी0एच0/केन्द्रीय दवा भंडारगृह/अन्य कार्यालय में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत सदर अस्पताल, मुंगेर के लिये 100 KVA, अनुमंडलीय अस्पताल, तारापुर के लिये 30 KVA, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 15 KVA, प्रत्येक चयनित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र (L1) के लिये 10 KVA, के साइलेंट जेनरेट (DG Set) का दर प्रति घंटा अंकित करना होगा। जेनरेटर परिचालन का पूर्ण व्यय (ईंधन टैक्निशियन एवं रख-रखाव सहित) संबंधित निविदादाता को ही करना होगा।

- जेनरेटर से अस्पताल के मेनस्विच तक वायरिंग एजेंसी को करना होगा।
- अस्पतालों के वायरिंग से छेड़-छाड़ या समानान्तर वायरिंग एजेंसी द्वारा नहीं किया जायेगा।
- सफल निविदादाता को DG Set क्रय करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जा सकता है एवं जेनरेटर का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही निविदादाता के साथ अनुबंध/एकरारनामा किया जायेगा।
- जेनरेटर आई0एस0आई मार्क की होनी चाहिए।
- DG sets shall meet the requirement of environment (Protection) Rules 1986 as laid down by Ministry of Environment and forests, Government of India, read with GSR no. 371 (E) Dated 17-05-02, GSR 520 (E) Dated 01-07-03 & GSR 448 (E) Dated 12-07-04 in respect of emission for the engines and in respect of noise level for the DG set for supplies to be made.
- जेनरेटर सेट में समेकित एग्झॉस्टिक इन्वलोजर होना चाहिए।
- राज्य स्वा0 समिति द्वारा अनुमोदित TOR के अनुसार साइलेंट जनसेट संबंधी विस्तृत requirement (तकनीकी) कार्य संचालन एवं भुगतान पद्धति संबंधी शर्तों के अनुसार कार्य संपादन करना होगा जो जिला स्वास्थ्य समिति के website- munger.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

1. योग्यता (Eligibility Criteria)– तकनीकी निविदा

- संबंधित एजेंसी को तीन वर्ष की समान (Similar) प्रकृति में सरकारी, गैरसरकारी, सरकारी उपक्रम, विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य का अनुभव अनिवार्य होगा।
- संबंधित एजेंसी को विगत तीन वर्ष में कम से कम एक वर्ष 2 लाख रू0 तक का संतोषप्रद कार्य संपादन प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
- संबंधित एजेंसी को विगत दो वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
- संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर प्रतिवेदन तीन लाख रुपये से अधिक का संलग्न करना होगा।
- एजेंसी/फार्म को बैंक द्वारा जारी रू0 1,00,000/- (एक लाख रू0 मात्र) से अधिक का Solvency Certificate लगाना अनिवार्य होगा।
- एजेंसी/फार्म के पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाईसेंस अद्यतन होना अनिवार्य होगा।
- एजेंसी/फार्म का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा।
- अग्रधन के रूप में सदर अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल के लिए 50,000 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं (L1) केन्द्रों के लिए रू0 25,000/- (पच्चीस हजार रू0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर के नाम से भुगतान संलग्न करना होगा।
- संबंधित एजेंसी/फार्म/संस्था को आयकर एवं वाणिज्यकर निबंधन प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

- संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/सरकारी उपक्रम या अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथपत्र संलग्न करना होगा।

2. वित्तीय निविदा :

एजेंसी/फर्म को वित्तीय निविदा में प्रस्तावित दर प्रपत्र में समर्पित करना होगा—

जेनरेटर सेवा			
100 के0वी0ए दर प्रति घंटा	30 के0वी0ए दर प्रति घंटा	15 के0वी0ए दर प्रति घंटा	10 के0वी0ए दर प्रति घंटा

अन्य शर्तः—

- निविदा स्वीकृत होने पर गैर न्यायिक स्टॉम्प पर TOR में संलग्न इकरारनामे पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा एवं एकरारनामा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- अनुबंध अवधि तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। परंतु प्रत्येक वर्ष कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में की जायेगी।
- समीक्षा में कमी पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर एकारनामा को रद्द कर दिया जायेगा।
- एकरारनामा/अनुबंध को तीन माह के नोटिस पर प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- सफल एजेंसी/फर्म को जमानत राशि के रूप में कार्यालय आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर अनुमानित कुल मासिक व्यय का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर के नाम से देय जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी। अनुमानित कुल व्यय का आंकलन जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर द्वारा किया जायेगा।
- जमानत राशि एकरारनामा अवधि के पूरा होने के उपरांत लौटा दी जायेगी तथा एजेंसी द्वारा किसी प्रकार का Damage या Loss of Property के आलोक में राशि काट ली जायेगी।
- एजेंसी को जमानत राशि का किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- सफल एजेंसी को कार्यादेश के पूर्व अद्धतन आयकर/वाणिज्यकर स्वाच्छता प्रमाणपत्र समर्पित करना होगा।
- दर सभी कर सहित होना चाहिए तथ दर तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। भुगतान के पूर्व श्रोत पर सभी अनुमान्य करों की कटौती की जायेगी।
- चयनित एजेंसी को सभी जेनरेटर टेक्निशियन को पहचान पत्र एवं एक समान नीला ड्रेस उपलब्ध कराना होगा जिसपर संबंधित एजेंसी का नाम, कर्मों का नाम एवं संबंधित अस्पताल का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- चयनित एजेंसी को कार्यादेश मिलने के उपरान्त कार्यरत कर्मियों का नियमानुकूल EPF/ESI में निबंधन कराना होगा।
- उक्त निविदा में मुंगेर जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मों/पदाधिकारी, उनके नजदीकी रिश्तेदार एवं निविदा प्रकाशन के तिथि तक जो व्यक्ति रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं, वे निविदा में शामिल नहीं हो सकते हैं।
- यदि एकरारनामा को शर्तों के उल्लंघन पर या न्यूनतम दर दाता द्वारा असंतोषजनक कार्य किया जाता है तो निर्गत कार्यादेश को रद्द करते हुए द्वितीय न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जा सकता है तथा असंतोषजनक कार्य करने वाली एजेंसी/फर्म को काली सूची में डाला जा सकता है तथा सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

कार्य की विवरणी

(अन्तःवासी मरीजो का खान-पान)

(क) खान-पान :-

1. अन्तः वासी मरीजो को सुबह के नास्ता में- छः पीस पॉव रोटी, उबला हुआ अण्डा, टेट्रा पैक दूध (200 मि०ली०) तथा एक मौसमी फल यथा (केला, सेब आदि),(ख) दोपहर के भोजन में- चपाती/चावल-125 ग्राम, सब्जी-100ग्राम, दही- 100 ग्राम, दाल- 50 ग्राम (ग) शाम का नास्ता में- ग्लुकोज बिस्कीट दो पीस, एक कप चाय (घ) रात्रि भोजन में- चपाती चार पीस- 100 ग्राम, दाल- 50 ग्राम के लिए दर प्रति मरीज प्रतिदिन के दर से देना अनिवार्य होगा।
2. सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दर रू० 50/- (पचास रू० मात्र) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अन्तर्गत ही दर मान्य होगा।

(ख) योग्यता (Eligibility Criteria) – तकनीकी निविदा :

1. संबंधित एजेंसी को दो वर्ष का समान (Similar) प्रकृति में सरकारी, गैर-सरकारी, सरकारी उपक्रम, विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य का अनुभव अनिवार्य होगा।
2. संबंधित एजेंसी का विगत दो वर्ष में कम से कम एक वर्ष 1 लाख रू० का Payment Certificate समान (Similar) प्रकृति का एवं सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
4. एजेंसी/फर्म को बैंक द्वारा जारी रू० 1,00,000/- (एक लाख रू० मात्र) से अधिक का Solvency Certificate' लगाना अनिवार्य होगा।
5. अग्रधन के रूप में रू० 10,000/- (दस हजार रू० मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर के नाम से भुगतये संलग्न करना होगा।
6. संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को आयकर एवं वाणिज्यकर निबंधन प्रमाणत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
7. संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/सरकारी उपक्रम या अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नही होने का शपथपत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता के पास Food License होना अनिवार्य होगा।

(ग) वित्तिय निविदा :-

एजेंसी/फर्म को वित्तिय निविदा में प्रस्तावित दर निम्न प्रपत्र में समर्पित करना होगा-

खान-पान

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थानों के नाम	स्वीकृत मीनू के अनुसार भोजन	आपूर्ति दर (प्रति व्यक्ति / दिन)
1	सदर अस्पताल		
2	अनुमंडलीय अस्पताल		
4	प्राथमिक स्वा० केन्द्र		
5	L1 स्वास्थ्य केन्द्र		

अन्य शर्त :-

- निविदा स्वीकृत होने पर गैर न्यायिक स्टॉप पर TOR में संलग्न एकरारनामे पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा एवं एकरारनामा की शर्तों का पालन कना अनिवार्य होगा।

- अनुबंध अवधि तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। परंतु प्रत्येक वर्ष कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में की जायेगी।
- समीक्षा में कमी पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर एकरारनामा को रद्द कर दिया जायेगा।
- एकरारनामना/अनुबंध को तीन माह के नोटिस पर प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- सफल एजेंसी/फर्म को जमानत राशि के रूप में कार्यालय आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर अनुमानित कुल मासिक व्यय का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, के नाम से देय जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी। अनुमानित कुल व्यय का आकलन जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर द्वारा किया जाएगा।
- जमानत राशि एकरारनामा अवधि के पूरा होने के उपरांत लौटा दी जायेगी तथा एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- एजेंसी को जमानत राशि का किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- दर सभी कर सहित होना चाहिए तथा दर तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। भुगतान के पूर्व श्रोत पर सभी अनुमान्य करों की कटौती की जायेगी।
- चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों को पहचान पत्र एवं एक समान नीला ड्रेस उपलब्ध कराना होगा जिस पर संबंधित एजेंसी का नाम, कर्मों का नाम एवं संबंधित अस्पताल का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- चयनित एजेंसी को कार्यादेश मिलने उपरांत कार्यरत कर्मियों का नियमानुकूल EPF/ESI में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- उक्त निविदा में मुंगेर जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मों/पदाधिकारी, उनके नजदीकी रिश्तेदार एवं निविदा प्रकाशन के तिथि तक जो व्यक्ति रोगी कल्याण समिति के सदस्य है, वे निविदा में शामिल नहीं हो सकते है।
- यदि न्यूनतम दर दाता द्वारा असंतोषजनक कार्य किया जाता है तो उसे निर्गत कार्यादेश को रद्द करते हुए द्वितीय न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जा सकता है तथा असंतोषजनक कार्य करने वाली एजेंसी/फर्म को काली सूची में डाला जा सकता है।

कार्य की विवरणी

अस्पताल के आंतरिक एवं बाहरी परिसर की सफाई एवं रख-रखाव

(क) अस्पताल के आंतरिक परिसर की सफाई:-

1. अस्पताल के सभी कमरों, वार्ड, बरामदा, शौचालय, पीने के पानी की जगह, बाह्य-कक्ष, शौचालय में किनारे लगे टाईल्स, ओटी0 तथा अन्य सभी जगहों की पूर्ण सफाई पूर्वाह्न 08:00 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थियेटर से बेकार सामानों का डिस्पोजल (निस्तारण) निर्धारित स्थान पर करना।
3. मरीजों को ट्रॉली से पहुँचाना, बेड पैन एवं यूरिनल लगाना।
4. मरीजों के मलमूत्र व अवशिष्ट पदार्थों, रक्त की सफाई, गंदे कपड़े को जमा कर निर्धारित स्थान पर पहुँचाना।
5. अस्पताल के नाला आदि की सफाई।
6. सफाई कार्य अनवरत 24 घंटे तक चलता रहेगा। इसके लिए तीन सिफ्टों के लिए अलग-अलग सफाई कर्मी रखना होगा।
7. आंतरिक परिसर की साफ-सफाई का कार्य मशीन अर्थात् वैक्यूम क्लिनर, स्क्रबर, वाटरप्रेसर मशीन आदि का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं सामग्री एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
8. शौचालय की निश्चित अंतराल पर सफाई यथा, प्रत्येक 8 घंटे पर तथा फिनाईल की गोली शौचालय में प्रत्येक दिन रखना अनिवार्य होगा।
9. अस्पताल में विभिन्न वार्डों/कमरों में मकड़े का जाल, पंखे एवं अन्य उपकरण की सफाई समय-समय पर करना अनिवार्य होगा।
10. छुट्टी के दिनों अर्थात् रविवार या अन्य छुट्टी जिसमें ओपीडी0 कार्य नहीं हों, उस दिन पूरे अस्पताल के आंतरिक परिसर को सर्फ/पेस्ट/फिनाईल इत्यादि से पानी एवं वाईपर से पूर्णतः सफाई करना अनिवार्य होगा।
11. सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्री जैसे फ्लोर क्लिनर, फिनाईल, ग्लास क्लिनर, मॉसकितो एवं कॉक्रोच स्प्रे इत्यादि संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
12. विद्युत चालित वैक्यूम क्लिनर तथा मैनुअल झाड़ू पोछा संबंधित संस्था द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
13. सफल निविदादाता को साफ-सफाई में प्रयोग होने वाले Vacuum Cleaner, Scubber, Water Pressure Machine क्रय हेतु 15 दिनों का समय दिया जा सकता है एवं Vacuum Cleaner, Scubber, Water Pressure Machine का भौतिक सत्यापन के बाद ही निविदादाता के साथ अनुबंध/एकरारनामा किया जायेगा।
14. एजेंसी द्वारा प्रातः 04:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रत्येक प्रखंड में से चयनित एक उनकी उपस्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमशः 8,4,2 एवं एक सफाई कर्मी हमेशा मौजूद रहेंगे तथा उनकी उपस्थिति संबंधित अस्पताल में दर्ज करना अनिवार्य होगा। सभी सफाई कर्मी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सक/अस्पताल प्रबन्धक/स्वास्थ्य प्रबन्धक प्राधिकृत पदाधिकारी के आदेश का पालन करेंगे।

(ख) अस्पताल के बाहरी परिसर की सफाई एवं रख-रखाव :-

1. अस्पताल परिसर की पूरी सफाई करना।
2. अस्पताल परिसर में पार्किंग, गार्डन, खाली जगहों इत्यादि को भी पूर्णतः साफ करना अनिवार्य होगा।
3. अस्पताल परिसर में लगे हुए फूल, पौधे की देखभाल करना, पेड़ पौधों का रख रखाव एवं वर्ष में दो बार 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को पेड़ पौधे आदि रंग-रोगन करना।
4. अस्पताल के नालों की सफाई करना, चूना, गैमक्सिन एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना।
5. अस्पताल परिसर में जमा कूड़ा-करकड आदि को सप्ताह में ट्रैक्टर, ट्रॉली से उठाकर अन्य जगहों पर पहुँचाने का काम एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

6. अस्पताल के सभी कमरे, वार्ड, बरामदा शौचालय, पीने के पानी की जगह, बाह्य-कक्ष, शौचालय में किनारे लगे टाईल्स, ओ0टी0 तथा अन्य सभी जगहों की पूर्ण सफाई पूर्वाहन 08:00 से पूर्व करना अनिवार्य होगा।
7. राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित TOR के अनुसार साफ-सफाई संबंधी विद्वत तकनीकी, कार्य संचालन एवं अग्रद्धन प्रवृत्ति संबंधी शर्तों के अनुसार कार्य संचालन करना अनिवार्य होगा जो जिला स्वास्थ्य समिति के वेब सर्इट www.munger.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ग) योग्यता (Eligibility Criteria) – तकनीकी निविदा :-

1. संबंधित एजेंसी को दो वर्ष का समान (Similar) प्रकृति में सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी बजे उपक्रम, विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य का अनुभव अनिवार्य होगा।
2. संबंधित एजेंसी का विगत तीन वर्ष में कम से कम एक वर्ष से 1 लाख रू0 का Payment Certificate समान (Similar) प्रकृति का एवं सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
4. संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर रू0 2,00,000/- से अधिक का हो।
5. एजेंसी/फर्म को बैंक द्वारा जारी रू0 1,00,000/- (एक लाख रू0 मात्र) से अधिक का Solvency Certificate लगना अनिवार्य होगा।
6. एजेंसी/फर्म के पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाईसेंस अद्यतन होना अनिवार्य होगा।
7. एजेंसी/फर्म का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
8. अग्रधन के रूप में सदर अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर के लिए रू0 50,000/- एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए रू0 25,000/- (पच्चीस हजार रू0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर के नाम से भुगतान संलग्न करना होगा।
9. संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को आयकर एवं वाणिज्यकर निबंधन प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
10. संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/सरकारी उपक्रम या अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथपत्र संलग्न करना होगा।

(घ) वित्तीय निविदा :-

1. एजेंसी/फर्म को वित्तीय निविदा में प्रस्तावित दर निम्न प्रपत्र में समर्पित करना होगा-

साफ-सफाई :-

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थानों के नाम	आंतरिक परिसर (प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन)	बाहरी परिसर (प्रतिमहीना)
1	सदर अस्पताल		
2	अनुमंडलीय अस्पताल		
3	रेफरल अस्पताल		
4	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र		
5	L1 स्वास्थ्य केन्द्र		

अन्य शर्त :-

- निविदा स्वीकृत होने पर गैर न्यायिक स्टॉम्प पर TOR में संलग्न एकरारनामा पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा एवं एकरारनामा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- अनुबंध अवधि तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। परंतु प्रत्येक वर्ष कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में की जायेगी।
- समीक्षा में कमी पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर एकरारनामा को रद्द कर दिया जायेगा।
- एकरारनामा/अनुबंध को तीन माह के नोटिस पर प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

- सफल एजेंसी/फर्म को जमानत राशि के रूप में कार्यालय आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर अनुमानित कुल मासिक व्यय का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर के नाम से देय अनिवार्य होगा अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रो लगा दी जायेगी। अनुमानित कुल व्यय का आंकलन जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर द्वारा किया जाएगा।
- जमानत राशि एकरारनामा अवधि के पूरा होने के उपरांत लौटा दी जायेगी तथा एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- एजेंसी को जमानत राशि का किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- दर सभी कर सहित होना चाहिए तथ दर तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। भुगतान के पूर्व श्रोत पर सभी अनुमान्य करों की कटौती की जायेगी।
- चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों को पहचान पत्र एवं एक समान नीला ड्रेस उपलब्ध कराना होगा जिस पर संबंधित एजेंसी का नाम, कर्मि का नाम एवं संबंधित अस्पताल का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- चयनित एजेंसी को कार्यादेश मिलने उपरांत कार्यरत कर्मियों का नियमानुकूल EPF/ESI में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- उक्त निविदा में मुंगेर जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मि/पदाधिकारी, उनके नजदीकी रिश्तेदार एवं निविदा प्रकाशन के तिथि तक जो व्यक्ति रोगी कल्याण समिति के सदस्य है, वे निविदा में शामिल नहीं हो सकते है।
- यदि न्यूनतम दर दाता द्वारा असंतोषजनक कार्य किया जाता है तो उसे निर्गत कार्यादेश को रद्द करते हुए द्वितिय न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जा सकता है तथा असंतोषजनक कार्य करने वाली एजेंसी/फर्म को काली सूची में डाला जा सकता है तथा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

कार्य की विवरणी

(कपड़ों की धुलाई)

(क) कपड़ों की धुलाई :-

- 1 प्रत्येक बेड का बेडशीट, तकिया कभर, चादर, कम्बल, मच्छरदानी एवं पर्दा आदि धोना स्टार्चीकरण और आयरन करना एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- 2 ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई प्रत्येक ऑपरेशन के बाद एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- 3 कपड़े की धुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाली सभी सामग्रियों की आपूर्ति एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- 4 सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चयनित L1 में वाशिंग मशीन से कपड़ों की धुलाई करना होगा।
- 5 वाशिंग मशीन के प्रचालन हेतु विद्युत/जेनरेटर की व्यवस्था एजेंसी को स्वयं करनी होगी।

(ख) योग्यता (Eligibility Criteria) – तकनीकी निविदा

- 1 संबंधित एजेंसी को दो वर्ष का समान (Similar) प्रकृति में सरकारी, गैर-सरकारी, सरकारी बजे उपक्रम, विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य का अनुभव अनिवार्य होगा।
- 2 संबंधित एजेंसी का विगत तीन वर्ष में कम से कम एक वर्ष से 1 लाख ₹0 का Payment Certificate समान (Similar) प्रकृति का एवं सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3 संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
- 4 संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर ₹0 2,00,000/- (दो लाख) से अधिक का संलग्न करना होगा।
- 5 एजेंसी/फर्म को बैंक द्वारा जारी ₹0 50,000/- (पचास हजार ₹0) से अधिक का Solvency Certificate लगना अनिवार्य होगा।
- 6 एजेंसी/फर्म के पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाईसेंस अद्यतन होना अनिवार्य होगा।
- 7 एजेंसी/फर्म का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
- 8 अग्रधन के रूप में 10,000/- (दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर के नाम से भुगतान संलग्न करना होगा।
- 9 संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को आयकर निबंधन प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- 10 संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/सरकारी उपक्रम या अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथपत्र संलग्न करना होगा।

(ग) वित्तीय निविदा :-

2. एजेंसी/फर्म को वित्तीय निविदा में प्रस्तावित दर निम्न प्रपत्र में समर्पित करना होगा-

कपड़ों की धुलाई :

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थानों के नाम	माहवार
1	सदर अस्पताल	
2	अनुमंडलीय अस्पताल	
3	रेफरल अस्पताल	
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
5	L1 संस्थान	

अन्य शर्त :-

- निविदा स्वीकृत होने पर गैर न्यायिक स्टॉम्प पर TOR में संलग्न एकरारनामे पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा एवं एकरारनामा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

- अनुबंध अवधि तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। परंतु प्रत्येक वर्ष कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में की जायेगी।
- समीक्षा में कमी पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर एकरारनामा को रद्द कर दिया जायेगा।
- एकरारनामना/अनुबंध को तीन माह के नोटिस पर प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- सफल एजेंसी/फर्म को जमानत राशि के रूप में कार्यालय आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर अनुमानित कुल मासिक व्यय का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर के नाम से देय जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी। अनुमानित कुल व्यय का आंकलन जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर द्वारा किया जाएगा।
- जमानत राशि एकरारनामा अवधि के पूरा होने के उपरांत लौटा दी जायेगी।
- एजेंसी को जमानत राशि का किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- दर सभी कर सहित होना चाहिए तथा दर तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। भुगतान के पूर्व श्रोत पर सभी अनुमान्य करों की कटौती की जायेगी।
- उक्त निविदा में मुंगेर जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मि/पदाधिकारी, उनके नजदीकी रिश्तेदार एवं निविदा प्रकाशन के तिथि तक जो व्यक्ति रोगी कल्याण समिति के सदस्य है, वे निविदा में शामिल नहीं हो सकते है।
- यदि न्यूनतम दर दाता द्वारा असंतोषजनक कार्य किया जाता है तो उसे निर्गत कार्यादेश को रद्द करते हुए द्वितीय न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जा सकता है तथा असंतोषजनक कार्य करने वाली एजेंसी/फर्म को काली सूची में डाला जा सकता है तथा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।